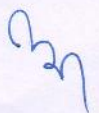


बैठक कार्यवृत्त

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार 'Public Health Response to Covid-19 Appropriate Behaviour' कैम्पेन एवं कोविड-19 के कारण बन्द किये गये विद्यालयों को पुनः खोलने के संबंध में दिनांक 07.10.2020 को दोपहर 12:00 बजे अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक महोदया की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सम्मिलित सदस्यों की सूचना 'परिशिष्ट-अ' पर संलग्न है। बैठक में लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं:-

1. MOE से प्राप्त IEC Material को डिजिटल (शालादर्पण पोर्टल, पीएसपी पोर्टल, विभाग की वेब साइट, समग्र शिक्षा की वेबसाइट, विभिन्न शैक्षिक वाट्सअप ग्रुप) एवं अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार हेतु रूपरेखा तैयार कर जन जागरण कैम्पेन चलाया जाये।
2. 'Public Health Response to Covid-19 Appropriate Behaviour' कैम्पेन एवं विद्यालय पुनः खोलने हेतु पूर्व तैयारी के सफल संचालन एवं मॉनीटरिंग हेतु जिला, ब्लॉक, पीईईओ (सीआरसी) एवं अन्य सीआरसी स्तर तक के अधिकारियों को पदेन नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये।
3. जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र में शहरी सीआरसी को पदेन नोडल अधिकारी बनाया जाना है।
4. शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रभावी मॉनीटरिंग, सूचनाओं के शीघ्र संग्रहण, प्रतिदिन की अद्यतन स्थिति एवं तदनुरूप कार्यवाही करने हेतु निदेशालय स्तर के साथ-साथ जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जाये।
5. ग्रामीण सीआरसी (पीईईओ) एवं शहरी सीआरसी स्तर पर अन्य विभाग यथा पंचायती राज (ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी) एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग (पीएचसी/सीएचसी) से समन्वय स्थापित करते हुए सहयोग लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।



6. MOE से प्राप्त IEC Material व राज्य के IEC Material को क्लब करके राज्य स्तर से एक IEC Material बनाये।
7. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदत्त निर्देश, विहित समयबद्ध गतिविधियों की योजना एवं क्रियान्विति सुनिश्चित की जाये।


(ओम प्रभा)
उपायुक्त-सप्तम

क्रमांक - रास्कूशिप/जय/वैशि/2020-21/15788
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ -

दिनांक :-12/10/2020

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (II), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
4. उपायुक्त-I / VII, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक, समस्त जिला।
7. सम्बन्धित समस्त समिति सदस्य
8. रक्षित प्रति।


उपायुक्त-सप्तम